माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी कमांक /2016

भीष्म प्रताप सिंह पुत्र श्री मनोहर सिंह, आयु– 31 वर्ष, व्यवसाय – कृषि, निवासी– ग्राम– जासलपुर, तहसील व जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश

..............प्रार्थी/निगरानीकर्ता

बनाम

म.प्र.शासन ....प्रतिप्रार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 26.05.2016 प्रकरण कमांक 59/अपील 2015–16 (भीष्म प्रताप सिंह बनाम शासन) पारित न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद म.प्र. एवं विरूद्ध आदेश दिनांक 14/10/2015 अपील कमांक 42/2014–15 (भीष्म प्रताप सिंह बनाम म.प्र.शासन) द्वारा पारित न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म.प्र. एवं विरूद्ध आदेश दिनांक 05.06.2015 प्रकरण कमांक 6/अ–6 2014–15 (भीष्म प्रताप सिंह बनाम सर्व साधारण) द्वारा पारित न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार, तहसील होशंगाबाद जिला होशंगाबाद म.प्र.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3444–पीबीआर / 2016 [भीष्म प्रताप/शासन] जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06.10.16	आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के आदेश दिनांक 26–5–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथमदृष्टया विधिसंगत है कि अपर कलेक्टर द्वारा ग्राम जासलपुरा तहसील होशंगाबाद की भूमि सर्वे नम्बर 333 रकबा 0.538 हेक्टेयर में से 0.101 हेक्टेयर भूमि म0प्र0भू–राजस्व संहिता,1959 की धारा 237(2) के अन्तर्गत चरनोई मद से खारिज कर आबादी हेतु सुरक्षित कर एवं प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि विधिसंगत कार्यवाही है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त करने में विधिसम्मत् कार्यवाही की गई है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	